राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांकः– प.25(9)प्रसु/सम/अनु–1/2019 जयपुर, दिनांकः– 27.12.2022

<u>परिपत्र</u>

राज्य में सुशासन की स्थापना हेतु राज–काज पोर्टल पर सभी विभागों में ई–फाईल मॉड्यूल लागू कर राजकार्य में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं त्वरित कार्य निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। ई–फाईल मॉड्यूल के उपयोग से न केवल पत्रावलियों की Real Time Tracking की जा सकेगी, साथ ही अधिकारी/कार्मिक के राजकीय यात्रा पर होने पर भी राजकार्य का समयबद्ध सम्पादन सुनिश्चित/संभव हो सकेगा।

ई–फाईल मॉड्यूल लागू करने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा समस्त विभागों के अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

राज्य में ई–फाईल सिस्टम सभी विभागों एवं आयुक्तालायों/निदेशालयों में मिशन मोड पर लागू किया जाना है। अतः सभी विभागों में ई–फाईल मॉड्यूल लागू करने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।

1. शासन सचिवालय के सभी विभागों में 1 जनवरी 2023 से अनिवार्य रुप से पत्रावली प्रक्रिया इलेक्ट्रोनिक मोड में (e-File in RajKaj) संपन्न की जायेगी।
2. जांच संबंधी मामलों की पत्रावलियों, न्यायालय/वादकरण संबंधी पत्रावलियों, एवं अति–गोपनीय/गोपनीय पत्रावलियों/प्रकरणों को ई–फाईल सिस्टम से अलग रखा जा सकेगा।
3. सभी नवीन पत्रावलियां इलेक्ट्रोनिक मोड में खोली जायेंगी। यदि भौतिक पत्रावली खोली जानी आवश्यक हो तो अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव की पूर्व सहमति के बिना नहीं खोली जायेगी।
4. पुरानी पत्रावलियां ई–फाईल (RajKaj Application) पर प्राथमिकता से लायी जायेंगी।
5. सभी विभाग अपने अधीनस्थ आयुक्तालयों/निदेशालयों/विभागाध्यक्षों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में ई–फाईल सिस्टम दिनांक 30 जनवरी 2023 तक लागू किया जाना सुनिश्चित करेंगें।
6. इस संबंध में उपयोगकर्ता हेतु प्रशिक्षण सामग्री राजकाज पोर्टल पर उपलब्ध है।

समस्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देशित किया जाता है कि अपने विभागों में ई–फाईल मॉड्यूल को लागू किया जाना सुनिश्चित करें।

(उषा शर्मा)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण, राजस्थान सरकार।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

Signature valid

(आलोक गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

Digitally signed by Usha Sharma
Designation : Chief Secretary
Date: 2022.12[illegible]:13:35 IST
Reason: Approv[illegible]

RajKaj Ref No. : 3020842